उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग – 1
संख्या – 487/9–आ–1–2000
लखनऊ : दिनांक : फरवरी 01, 2000

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा नदी के किनारे स्थित विकास प्राधिकरणों वाले नगरों के सर्विसेज (सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, सीवरेज तथा पेयजल) मास्टर प्लान जल निगम, उ0 प्र0 के माध्यम से बनवाये जाने का विषय शासन के समक्ष विचाराधीन है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है। अतः विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इससे सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की जाय जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा :–

1.	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	अध्यक्ष
2.	प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
	जो मुख्य अभियन्ता स्तर से कम न हो	सदस्य
3.	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य
4.	मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, कानपुर	सदस्य
5.	मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य सचिव

अध्यक्ष समिति/आवास आयुक्त यदि किसी अन्य अधिकारी को उपयुक्त समझें तो उसे भी उक्त समिति में ''को–आप्ट'' कर सकते हैं। समिति के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नवत होंगे :–

1. सर्विसेज मास्टर प्लान कौन–कौन से सर्वेक्षण व अध्ययनों पर आधारित होंगे।
2. सर्विसेज मास्टर प्लान में क्या–क्या कार्य सम्मिलित होंगे तथा उनके क्या–क्या तकनीकी विवरण व विशिष्टियां उपलब्ध कराई जायेंगी। अर्थात विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क्स आदि।
3. विरचन शुल्क (सर्विस चार्ज) की गणना हेतु क्या आधार अपनाया जाना चाहिये; यथा कराये जाने वाले कार्यों के आगणन का एक प्रतिशत की दर से, अथवा नगर के क्षेत्रफल पर आधारित यूनिट रेट।

उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त समिति अपनी संस्तुति विलम्बतम एक माह में शासन को उपलब्ध करायेगी।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 487 (1) /9.आ.1.2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, नगर विकास, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्रांक : 1480/सीजीए/9.2.2000.(1)(19)/95 दिनांक 10 जनवरी, 2000 के क्रम में।
(2) आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद/अध्यक्ष समिति।
(3) सभी सदस्यगण, समिति।
(4) अनुभाग अधिकारी, आवास अनुभाग–1, उ0 प्र0 शासन।
(5) आवास बन्धु, उ0 प्र0।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–1
संख्या : 973/9–आ–1–2000
लखनऊ दिनांक : फरवरी 28, 2000

कार्यालय ज्ञाप

नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन एवं विकास तथा रखरखाव के कार्यों की समीक्षा एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु राज्यपाल महोदय निम्न सदस्यों की एक समिति गठित करने के निर्देश देते हैं :–

(i)	सचिव आवास	सदस्य
(ii)	सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उम्मूलन	सदस्य
(iii)	सचिव, नगर विकास	सदस्य
(iv)	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
(v)	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
(vi)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम	सदस्य
(vii)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(viii)	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य
(ix)	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य

क्रमांक (i)ए (ii) व (iii) पर वरिष्ठतम अधिकारी टास्क फोर्स का अध्यक्ष होगा। समिति का विषय क्षेत्र निम्न होगा :–

1. नगर के विकास से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं तथा समेकित विकास की प्राथमिकतायें निर्धारित करना एवं उनकी समीक्षा तथा दिशा निर्देश।
2. विकास प्राधिकरणों तथा नगर निगमों में नगरीय अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा एवं दिशा निर्देश।
3. सूडा के अवस्थापना सुविधा मद में उपलब्ध तथा स्टेट फाइनेन्स कमीशन से उपलब्ध धन की नगरीय अवस्थापना सुविधा से प्रस्तावित कार्यों के साथ डवटेलिंग।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं उनकी समीक्षा एवं दिशा निर्देशन।
5. अन्य प्रदेशों के अच्छे कार्यक्रमों एवं नीतियों का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश में लागू करने की व्यवस्था।
6. अवस्थापना सुविधा मद से सम्बन्धित कार्य के क्रियान्वयन हेतु विशेष की राय तथा उन्हें बैठकों में बुलवाना।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–973(1)/9–आ–1–2000 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. उपाध्यक्ष,आवास प्राधिकरण (नगर निगमों वाले क्षेत्र)
3. मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम।
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
5. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–1
संख्या : 3868/9–आ–1–2000
लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2000

कार्यालय ज्ञाप

नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन एवं विकास कार्यों की समीक्षा हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 973/9–आ–1.2000 दिनांक 28.2.2000 के द्वारा गठित समिति को सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार पुनर्गठित किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निर्देश देते हैं।

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जल निगम	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
7.	सचिव, आवास	सदस्य
8.	सचिव, पर्यावरण	सदस्य
9.	सचिव, नगरीय क्षेत्र रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	सदस्य
10.	सचिव, नगर विकास	सदस्य
11.	आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
12.	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
13.	मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी नगर निगम	सदस्य
14.	विशेष सचिव, आवास	सदस्य सचिव

अतः शासनादेश संख्या 973/9–आ–1–2000 दिनांक 28.2.2000 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव आवास

संख्या–3868/9–आ–1–2000 एवं तद्दिनांक

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. मण्डलायुक्त,लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/फैजाबाद/वाराणसी/गोरखपुर/मेरठ/आगरा/बरेली/मुरादाबाद/सहारनपुर/गढ़वाल/झाँसी/चित्रकूट।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. आवास बन्धु के गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–1
संख्या : 1386 / 9–आ–1–2000
लखनऊ दिनांक : मार्च 25, 2000

कार्यालय ज्ञाप

शासन स्तर पर प्रदेश के विभिन्न नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन विकास एवं रखरखाव के ब्लू–प्रिन्ट तैयार करवाकर उनका क्रियान्वयन समीक्षा तथा सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–973 / 9–आ–1–2000, दिनांक 28–2–2000 के द्वारा गठित समिति की सहायता के लिये श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में नगर स्तर पर निम्न सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्देश देते हैं :–

(i)	मण्डलायुक्त (मण्डल मुख्यालय नगरों में)	अध्यक्ष
(ii)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष / सदस्य
(iii)	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष / सदस्य
(iv)	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम / अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद	सदस्य
(v)	जल निगम के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
(vi)	लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
(vii)	परियोजना निदेशक, डूडा।	सदस्य

मण्डल मुख्यालय नगरों में मण्डलायुक्त तथा अन्य में क्रमांक–(ii) व (iii) में जो भी वरिष्ठ हो समिति का अध्यक्ष होगा। समिति का विषय क्षेत्र निम्न होगा :–

1. नगर विकास से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं तथा समेकित विकास की प्राथमिकतायें तय कराना तथा उनके ब्लू–प्रिन्ट तैयार करवाना।
2. नगर में स्थित लोक निर्माण विभाग की सड़कों के विकास एवं सुधार का ब्लू–प्रिन्ट तैयार करवाना।
3. सूडा की विभिन्न योजनाओं की विकास प्राधिकरण तथा नगर / नगरपालिका की योजनाओं के साथ डवटेलिंग।
4. नगर स्तर पर नगर की अवस्थापना के विकास से सम्बन्धित भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य।
5. कार्यालय ज्ञाप संख्या–973 / 9–आ–1–2000, दिनांक 28–2–2000 द्वारा गठित समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–1386(1) / 9–आ–1–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. समिति के समस्त सदस्य।
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–1
संख्या–1662/9–आ–1–2000
लखनऊ दिनांक : 10 अप्रैल, 2000

कार्यालय ज्ञाप

शासन स्तर पर प्रदेश के विभिन्न नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन, विकास एवं रखरखाव के 'ब्लू–प्रिन्ट' तैयार करवाकर उनका क्रियान्वयन, समीक्षा तथा सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–973/9–आ–1–2000, दिनांक 28–2–2000 के द्वारा गठित समिति की सहायता के लिये कार्यालय ज्ञाप संख्या–1386/9– आ–2000, दिनांक 25–3–2000 के द्वारा एक समिति गठित की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुये समिति का पुर्नगठन निम्नानुसार किया जाता है :–

(i)	मण्डलायुक्त, मण्डल मुख्यालय नगरों में (उन नगरों को छोड़कर जहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल का अधिकारी प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ है)	अध्यक्ष
(ii)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष/सदस्य
(iii)	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष/सदस्य
(iv)	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद	सदस्य
(v)	जल निगम के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
(vi)	लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
(vii)	परियोजना निदेशक, डूडा	सदस्य

मंडल मुख्यालय नगरों में मण्डलायुक्त उन नगरों को छोड़कर जहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल का अधिकारी प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पदस्थ है, ऐसे नगरों में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होगें तथा अन्य में क्रमांक–(ii) व (iii) में जो भी वरिष्ठ हो, समिति का अध्यक्ष होगा। समिति का विषय क्षेत्र निम्न होगा :–

1. नगर विकास से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं तथा समेकित विकास की प्राथमिकतायें तय कराना तथा उनके 'ब्लू–प्रिन्ट' तैयार करवाना।
2. नगर में स्थित लोक निर्माण विभाग की सड़कों के विकास एवं सुधार का ब्लू–प्रिन्ट तैयार करवाना।
3. डूडा की विभिन्न योजनाओं की विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम/नगरपालिका की योजनाओं के साथ डवटेलिंग।
4. नगर स्तर पर नगर की अवस्थापना के विकास से सम्बन्धित भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य।
5. कार्यालय ज्ञाप संख्या 973/9–आ–1–2000, दिनांक 28–2–2000 द्वारा गठित समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–1662 (1)/9–आ–1–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समिति समस्त सदस्य।
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
5. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या : 113/आ0ब0/नि0सम0/अवस्था0/2000.01

दिनांक : 9 मई, 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम/नगरपालिका परिषद, कानपुर/लखनऊ/
वाराणसी/आगरा/इलाहाबाद/मेरठ/गोरखपुर/रायबरेली/
गाजियाबाद/मथुरा/बरेली/मुरादाबाद/अलीगढ़/बाँदा/
उन्नाव/झांसी/देहरादून/फैजाबाद/हरिद्वार/बुलन्दशहर/
फिरोजाबाद/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/हापुड़।

विषय : वर्ष 2000–01 हेतु अवस्थापना सुविधा का 'ब्लू प्रिन्ट' तैयार करना ।

महोदय,

दिनांक 25–4–2000 को प्रदेश के सभी प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा बेठक में यह तथ्य शासन के संज्ञान में आया कि आवास एवं विकास परिषद तथा रेलवे विभाग को उक्त ब्लू–प्रिन्ट तैयार करने में सहभागी नहीं बनाया जा रहा है जबकि इन दोंनो विभागों का नगरों की अवस्थापना सुविधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कथित दोनों विभागों को उक्त ब्लू–प्रिन्ट बनाने हेतु बनायी गयी समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाय तथा इन विभागों द्वारा नगर के लिये प्रस्तावित कार्यों को भी ब्लू प्रिन्ट में शामिल किया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या–113(1)/आ0ब0/नि0सम0/अवस्था0/2000–01 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या 4830/9–आ–1–2000

लखनऊ : दिनांक : नवम्बर 02ए 2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय : नगरीय अवस्थापना सुविधा हेतु शासन द्वारा तैयार किए गये डेटा–बेस के अद्यावधिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 21 अक्तूबर, 2000 को सचिव आवास की अध्यक्षता में आवास बन्धु के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव आवास द्वारा दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त बैठक में सचिव महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि प्राधिकरण अपने स्तर पर ''ब्लू–प्रिन्ट'' से सम्बन्धित डेटा को अद्यावधिक करते हुए प्रत्येक 15 दिन में अद्यावधिक डेटा फ्लापी अथवा ई–मेल एकाउन्ट **awas@up.nic.in** को उपलब्ध कराएगा जिससे कि शासन स्तर पर डेटा–बेस अद्यावधिक किया जा सके।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्राधिकरणों द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। कृपया इसका अनुपालन शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाना सुनिश्चित करें। शासन और प्राधिकरण स्तर पर सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान हेतु यदि आपका कोई ई–मेल एकाउन्ट हो तो उसकी सूचना शीघ्र आवास विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।